न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या– 94/2017
वाद प्रस्तुति दिनांक–04.07.2017
निर्णय दिनांक–12.03.2022

जगदीश पुरी पुत्र बजरंगपुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम सन्देड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
वादी

बनाम

1. भंवर पुरी पुत्र बजरंग पुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामलाल पुरी पुत्र बजरंग पुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. मोहन पुरी पुत्र हरि पुरी जाति बाबाजी निवासी ग्राम संदेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री शंकरलाल चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 03–श्री विवेक चौधरी

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 69 रकबा 06–01 बीघा, ख0न0 1391 रकबा 03–13 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 09–14 बीघा व ख0न0 760 रकबा 00–06 बीघा, ख0न0 762 रकबा 01–00 कुल किता 02 कुल रकबा 01–06 बीघा व ख0न0 731 रकबा 6–03 बीघा, ख0न0 758 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 759 रकबा 00–16 बीघा, ख0न0 763 रकबा 00–17 बीघा, ख0न0 764 रकबा 00–18 बीघा, ख0न0 766 रकबा 01–02 बीघा, ख0न0 767 रकबा 00–03 बीघा गै.मु. चाह, ख0न0 770 रकबा 00–08 बीघा, ख0न0 1389 रकबा 03–17 बीघा कुल किता 09 कुल रकबा 14–11 बीघा व भूमि आराजी ख0न0 499 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 500 रकबा 00–10 बीघा, ख0न0 501 रकबा 00–04 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 01–01 बीघा व ख0न0 730 रकबा 02–10 बीघा, ख0न0 765 रकबा 00–18 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 03–08 बीघा व भूमि आराजी ख0न0 502 रकबा 01–02 बीघा, ख0न0 503 रकबा 01–01 बीघा, ख0न0 509 रकबा 02–12 बीघा, ख0न0 519 रकबा 01–10 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 06–05 बीघा वाके ग्राम संदेडा पटवार हल्का संदेड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त अविभाजित आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

है। जिसका आज दिनांक तक विधिवत् तकास्मा व बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मौके पर उक्त आराजी को अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करके उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात अविभाज्य होने के कारण प्रतिवादीगण संयुक्त व अविभाज्य हिस्से को लेकर अनावश्यक विवाद करने पर उतारू है। जिससे पक्षकारान् के मध्य मोके पर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। जिससे की पक्षकारों के मध्य मेर डोल व लगान आदि को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होवे। इस कारण वादी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पृथक पृथक जमाबंदीयां तैयार करवायी जाकर अलग से तरमीम करवायी जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा किसी तरह का कोई विवाद नहीं किया गया है बल्कि वादी व उसके वारिसानों द्वारा अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न कर निरन्तर प्रतिवादीगण को परेशान कर रहे हैं। वादी प्रतिवादीगण की रूपया पैसा खर्च कर बनायी गई आराजी को अपना हिस्सा बताते हुए उस पर लड़ाई झगड़ा कर जोर जबरदस्ती काबिज होने का प्रयास कर रह हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वादी ने यह वाद पेश किया हैं। जमाबंदी व तरमीम पक्षकारान् के नाम अलग अलग तैयार करने में प्रतिवादीगण की पूर्व सहमति हैं किन्तु पक्षकारान् को बंटवारे के हिस्से में वही भूमि दी जावें। जिस पर वह वर्षों से काश्त कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में विशेष कथन भी किया कि पूर्व में वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी की बिना जानकारी के तकास्मा रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रस्तुत करवा दी थी और राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवा लिया था किन्तु राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जा चुका है। इस कारण अब वादग्रस्त आराजी का तकास्मा किये जाने पर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान् की मौजूदगी में तैयार किया जावे तथा विधिवत् रूप से बंटवारा किया जाकर जिस स्थान पर पक्षकारान् का काश्त है। उसका प्रस्तावित विभाजन तैयार करने का आदेश तहसीलदार पीपलू को दिया जावे। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक (राज0) के निर्णय दिनांक 27.04.20217 की पालना में न्यायालय हाजा के पत्रांक 1023 दिनांक 26.02.2021 द्वारा उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिती में तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक–भू.अ./2022/570 दिनांक 24.02.2022 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम संदेडा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 69/1 रकबा 0.3035 हैक्ट., ख0न0 499/1 रकबा 0.0885 हैक्ट., ख0न0 500 रकबा 0.1265 हैक्ट., ख0न0 501 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख0न0 502 रकबा 0.2782 हैक्ट., ख0न0 503 रकबा 0.2655 हैक्ट., ख0न0 ..9/3 रकबा 0.1644 हैक्ट., ख0न0 762/1 रकबा 0.1265 हैक्ट., ख0न0 764/1 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

55 रकबा 0.2276 हैक्ट., ख0न0 1389/1 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख0न0 1391/1 रकबा 0.2782 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 2.0739 हैक्ट. वादी जगदीश पुरी पुत्र बजरंग पुरी जाति गोस्वामी राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पलू सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व भूमि आराजी ख0न0 69/2 रकबा 0.1518 हैक्ट., ख0न0 9/4 रकबा 0.4300 हैक्ट., ख0न0 519 रकबा 0.3794 हैक्ट., ख0न0 758/1 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख0न0 9/1 रकबा 0.0632 हैक्ट., 760 रकबा 0.0759 हैक्ट., ख0न0 763 रकबा 0.2150 हैक्ट., ख0न0 770/1 रकबा 0506 हैक्ट., ख0न0 1391/2 रकबा 0.2655 हैक्ट. कुल किता 09 कुल रकबा 1.6820 प्रतिवादी संख्या 01 भंवर ी पुत्र बजरंग पुरी जाति गोस्वामी सा.देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम दर्ज रिकॉर्ड गा। ख0न0 69/3 रकबा 0.3035 हैक्ट., ख0न0 730 रकबा 0.6323 हैक्ट., ख0न0 731/1 रकबा 0.7840 हैक्ट., 0न0 1391/3 रकबा 0.3794 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा 2.0992 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 02 रामलाल पुरी त्र बजरंग पुरी जाति गोस्वामी सा.देह खातेदार राहिन सिडिंकेट बैंक शाखा टोंक के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। 0न0 69/4 रकबा 0.7712 हैक्ट., ख0न0 731/2 रकबा 0.7713 हैक्ट., ख0न0 758/2 रकबा 0.0379 हैक्ट., 0न0 759/2 रकबा 0.1391 हैक्ट., ख0न0 762/2 रकबा 0.1265 हैक्ट., ख0न0 764/2 रकबा 0.1138 हैक्ट., 0न0 770/2 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख0न0 766 रकबा 0.2782 हैक्ट., ख0न0 1389/2 रकबा 0.9231 हैक्ट. कुल ता 09 कुल रकबा 3.2117 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 03 मोहन पुरी पुत्र हरि पुरी जाति गोस्वामी सा.देह खातेदार हिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीपलू के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 509/1 रकबा 0.0379 क्ट. किस्म गै.मु. रास्ता, ख0न0 509/2 रकबा 0.0253 हैक्ट. किस्म गै.मु. चाह वादी जगदीश पुरी पुत्र बजरंग पुरी स्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीपलू व प्रतिवादी संख्या 01 भंवर पुरी पुत्र बजरंग पुरी हिस्सा 1/2 हिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना जाति गोस्वामी सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। मि आराजी ख0न0 767 रकबा 0.0379 हैक्ट. वादी जगदीश पुरी पुत्र बजरंग पुरी हिस्सा 1/10 राहिन बैंक ऑफ डौदा शाखा पीपलू व प्रतिवादी संख्या 02 रामलाल पुरी पुत्र बजरंग पुरी हि. 2/5 राहिन हिस्सा 3/10 सिडिंकेट क शाखा टोंक जाति गोस्वामी सा.देह खातेदार व प्रतिवादी संख्या 03 मोहनपुरी पुत्र हरिपुरी हिस्सा 1/2 जाति स्वामी सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार दी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम रे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया या। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुनिता ...)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner